९ जून २०१६

Indian Council of World Affairs
Sapru House, Barakhamba Road
New Delhi

# विशेष रिपोर्ट

## चंद यूरोपीय संघ देशों में आतंकवाद निरोधी योजनाएं
## एक मूल्यांकन

*डॉ. संघमित्रा शर्मा**

**संक्षिप्त**

*इस सदी के शुरु से ही यूरोप लगातार आतंकवादियों के निशाने पर रहा है। यूरोप के फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, इटली, ग्रीस और डेनमार्क को आतंकवादी हमलों का निशाना बनना पड़ा है। इन हमलों के बाद आतंकवाद की मौजूदा निरोधी योजनाओं की विवेचना का सवाल गहरा गया है। ख़ासकर उन देशों के लिए ये सवाल और ज़रूरी है , जहां दूसरे देशों की तुलना में आतंकवादी गतिविधियां अधिक हुई हैं, जिन देशों की नीतियां दूसरे देशों की तुलना में उग्र रही हैं और उन देशों में जहां के नागरिक पश्चिमी एशिया के संघर्षरत इलाकों में सबसे अधिक हिस्सा लेते रहे हैं। आतंकवाद की जवाबी योजनाओं की विवेचना के लिए बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को आधार बनाया गया है। इस आलेख का लक्ष्य ये विश्लेषण करना है कि बेल्जियम, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने आतंकी हमलों के बाद उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं, और ये जानना कि उन नीतियों में सुधार की कितनी गुंजाइश है।*

***मुख्य शब्द:*** *यूरोपीय संघ, आतंकवाद निरोधी योजनाएं, बेल्जियम, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया, सामूहिक जवाबदेही*

***नोट:***

*इस आलेख को तैयार करने से पहले एक प्रश्नावली तैयार की गई और निम्नलिखित अधिकारियों को भेजी गई , हालांकि उनका जवाब या तो नहीं मिला या उस जवाब का कोई मतलब नहीं था:*

1. *श्री फैब्रिस ग्रोसियर , पुलिस अटैची - भारत में फ्रेंच दूतावास , जिन्होंने फ्रेंच दूतावास छोड़ दिया था। फिलहाल भारत में फ्रेंच दूतावास में आतंकवाद जवाबी कार्रवाई से जुड़े मामलों पर बताने के लिए किसी की तैनाती नहीं है।*
2. *श्री स्टीफन कोन, पोस्ट सुरक्षा मैनेजर - भारत में ब्रिटिश दूतावास, जिन्होंने प्रश्नावली का कोई जवाब नहीं दिया।*
3. *श्री अर्नॉड गास्पर्ट , प्रथम सचिव - भारत में बेल्जियम दूतावास , इन्होंने सलाह दी कि शोधकर्ता को एगमॉन्ट इंस्टीच्यूट में वरिष्ठ शोधकर्ता और बेल्जियम विदेश विभाग के फेडरल पब्लिक सर्विस सेवा के विचार मंच से जुड़े श्री थॉमस रेनार्ड से सम्पर्क करना चाहिए। उन्हें प्रश्नावली भेजी गई, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।*
4. *शोधकर्ता ने बेल्जियम, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की विदेश नीति दफ्तरों में भी प्रश्नावली भेजी , लेकिन कहीं से किसी का जवाब नहीं आया।*
5. *वरिष्ठ विजिटिंग फेलो डॉ. रवि जोशी को भी प्रश्नावली भेजी गई। उन्होंने भी प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया।*

इस सदी के शुरु से यूरोपीय संघ के अलग -अलग देशों पर होनेवाले आतंकवादी हमलों ने स्पष्ट कर दिया है कि यूरोपीय संघ आतंकवादियों के नए निशाने के रूप में उभर रहा है। फ्रांस , स्पेन, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, इटली, ग्रीस और डेनमार्क जैसे देशों में पिछले कुछ सालों में भारी संख्या में आतंकवादी गतिविधियां दर्ज हुई हैं। इन आतंकवादी हमलों और गतिविधियों ने ये आकलन करने पर विवश कर दिया है कि इन देशों ने आतंक को रोकने के लिए क्या नीतियां बनाई हैं। इस परिप्रेक्ष्य में चुनिन्दे यूरोपीय संघ के देशों, मसलन बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में आतंकवाद से लड़ने की नीतियों की विवेचना करने की कोशिश की जा रही है। हाल में इन देशों में सबसे अधिक आतंकवादी हमलों के कारण विवेचना के लिए इन देशों का चयन किया गया है। देशों को चुनने का आधार तैयार करने में सबसे अधिक आतंकवादी हमले झेलनेवाले, आतंकवादी गुटों से सम्बंध रखनेवाले संगठनों की मौजूदगी , और इराक तथा सीरिया में मौजूद ISIS (Daesh) जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठन को सबसे ज़्यादा आतंकवादी लड़ाके मुहैया करानेवाले देशों को चुना गया है। इस आलेख का मकसद बेल्जियम , फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम में आतंकवाद की जवाबी नीतियां तैयार करना और उन नीतियों में बदलाव की संभावना पर विचार करना है।

**समस्या:**

यूरोप के इतिहास पर मुड़कर देखा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि यूरोप अर्से से आतंकवादियों के निशाने पर रहा है। 1789 में फ्रेंच आंदोलन के समय पहली बार आतंकवाद शब्द यूरोप के शब्दकोश में शामिल हुआ। इसके बाद लम्बे समय तक आतंकवाद

सिर्फ शब्दकोश का ही हिस्सा बना रहा , लेकिन 1970 के दशक में वामपंथी विचारधारा (इटली में रेड ब्रिगेड , फ्रांस में एक्शन डायरेक्ट और जर्मनी में फ्रैक्शन रॉटर आर्मी ) के रूप में उभरकर सामने आया। इनका कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय से लेकर क्षेत्रीय तक था , मसलन स्पेन में बास्क आंदोलन, फ्रांस में कर्सिकन आंदोलन और उत्तरी आयरलैंड में सिन फिन। 11 सितम्बर 2001 को अमेरिका में, 11 मार्च 2004 को मैड्रिड में और 24 मई 2014 को ब्रूसेल्स में हुए आतंकवादी हमलों ने सुरक्षा से जुड़े नज़रिये को बदल दिया। ब्रूसेल्स में 24 मई 2015 को यहूदी संग्रहालय में हमले हुए , जिसके बाद पेरिस के चार्ली हेब्दो में 7 जनवरी 2015 को, कोपेनहेगेन में एक सार्वजनिक समारोह में 14-15 फरवरी को, पेरिस के बाटाक्लान और स्टेड दे फ्रांस में 13 नवम्बर 2015 को, और फिर ब्रूसेल्स में 22 मार्च को आतंकवादी हमलों ने साफ कर दिया कि यूरोपीय संघ में आतंकवादी हमलों का खतरा पहले से कहीं ज़्यादा हो गया है। इन हमलों के बाद डर और असुरक्षा की भावना ने ख़ासकर आतंकवाद के बदलते स्वरूप को देखते हुए इन देशों में आतंकवाद निरोधी सुरक्षा तंत्र के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिये।

यहां ध्यान देने योग्य बात है कि 2000 के बाद मारे गए करीब 1,07,000 आतंकवादियों में से 5% विकसित देशों और आर्थिक और विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए बने संगठनों के सदस्य देशों से हैं , जिनमें अधिकतर यूरोपीय देश और अमेरिका हैं। 2015 के वैश्विक आतंकवाद इंडेक्स (GIT) यूनाइटेड किंगडम को GTI स्कोर में 5.613 अंकों के साथ 28वें स्थान पर रखता है , जबकि ग्रीस 4.976 अंकों के साथ इसके ठीक नीचे है। फ्रांस , आयरलैंड और जर्मनी का स्थान क्रमश : 4.553 अंकों के साथ 36वां, 3.663 अंकों के साथ 48वां और 3.442 अंकों के साथ 53वां है। स्पेन 2.622 अंकों के साथ 65वें और बेल्जियम 1.977 अंकों के साथ 82वें स्थान पर है। जबकि डेनमार्क 0.091 अंकों के साथ 118वें स्थान पर है। इंडेक्स तालिका से एक बात स्पष्ट है कि यूरोपीय संघ में यूनाइटेड किंगडम सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रभावित देश है , जिसके बाद क्रमश : ग्रीस, फ्रांस, आयरलैंड, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम और डेनमार्क के नाम आते हैं।

शांति और हिंसा से आर्थिक हानि पर अध्ययन करनेवाले ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीच्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के मुताबिक दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन - इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) में शामिल होने के लिए यूरोप से करीब 6000 लोग अब तक इराक और सीरिया पहुंचे हैं, जिनमें सबसे अधिक फ्रांस जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के नागरिक हैं। सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को सामरिक सुरक्षा , खुफिया सूचना सेवा देनेवाले सोफान ग्रुप के मुताबिक जून 2014 के बाद ISIS में विदेशी लड़ाकों की संख्या दोगुनी हो गई है। एक अनुमान के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम से 760 जेहादी ISIS में शामिल होने के लिए इराक और सीरिया पहुंचे हैं। फ्रांस और जर्मनी से इन्हीं देशों में आतंकवादी संगठन में शामिल होने के लिए पहुंचनेवाले जेहादियों की अनुमानित संख्या क्रमश : 1700 और 760 है। जो देश मुस्लिम बहुल नहीं हैं , वहां से सबसे अधिक आतंकवादी संगठन में शामिल होनेवाले नागरिकों में ब्रिटेन का चौथा स्थान है , जहां से 2011 से करीब 600 लोग इराक और सीरिया पहुंचे हैं। ये रिपोर्ट भी इंस्टीच्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की है। 2012 से 2014 के बीच बेल्जियम के 400 से अधिक नागरिक सीरिया और इराक पहुंचे , जिन्होंने अपने देश को यूरोपीय संघ के विदेशी आतंकवादियों की राजधानी बना दी। निम्नलिखित तालिका से ये जानने में आसानी होगी कि किन देशों के नागरिक औपचारिक और अनौपचारिक तौर पर इराक और सीरिया में विदेशी आतंकवादियों के तौर पर शामिल हुए:

तालिका 1

| देश | औपचारिक संख्या | अंतिम अपडेट | अनौपचारिक | वापस लौटनेवाले |
|---|---|---|---|---|
| फ्रांस | 1700 | मई 2015 | - | 250 |
| यूनाइटेड किंगडम | 760 | नवम्बर 2015 | - | 350 |
| बेल्जियम | 470 | अक्टूबर 2015 | 470 | 118 |
| स्पेन | 133 | अक्टूबर 2015 | 250 | - |
| डेनमार्क | 125 | अक्टूबर 2015 | 100-150 | 62 |

*Source: Foreign Fighters, The Soufan Group, 2015, pp. 7-10, http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/TSG_ForeignFightersUpdate3.pdf accessed on 22 April, 2016.*

ऐसे लोगों की संख्या जिन्होंने ISIS में शामिल होने की इच्छा ज़ाहिर की और इराक और सीरिया में आतंकवादी संगठन में शामिल होने के लिए पहुंचे , यूरोप में उग्रवाद बढ़ने के साफ संकेत देती है। यूरोप में उग्रवाद में बढ़ोत्तरी को अंदरूनी खतरों के रूप में भी देखा जा रहा है। उस वक्त गृह मामलों के यूरोपीय संघ कमिश्नर सेसिलिया मामस्ट्रॉम ने 15 जनवरी 2014 को टिप्पणी दी कि , “We see that extremism, xenophobia and nationalism keeps growing in Europe [and] we see worrying signals that these groups act as breeding grounds of ideology motivated by violence and extremist views.” फरवरी 2016 में स्थापित यूरोपोल के प्रमुख रॉबर्ट वेनराइट ने भी बताया कि सीरिया और इराक में प्रशिक्षण लेने और लड़ने के बाद करीब 5000 लड़ाके वापस अपने देशों में लौटे हैं। ये एक और खतरनाक बात है, और इस खतरे पर रोक लगाने की ज़रूरत है।

बेल्जियम में उग्रवाद मुख्य रूप से ब्रुसेल्स ज़िले के मोलेनबीक में केन्द्रित है। घनी आबादी वाले मोलेनबीक में आप्रवासी मुस्लिमों की संख्या करीब 95,000 है, जो वहां की आबादी के आधे से ज़्यादा है। इनमें अधिकतर मोरक्को से आए लोग और उनके वंशज हैं।

इस क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या (35 साल से कम उम्र के बेरोजगारों की संख्या करीब 30% है) ने और सरकारी महकमों के अपर्याप्त कामकाज ने मुस्लिम समुदाय को अलग-थलग कर दिया है। 2015 में मोलेनबीक में 80 से अधिक संदिग्ध आतंकवादियों के रहने की रिपोर्ट थी। इसके अलावा बेल्जियम के मशहूर एंटवर्प शहर भी उग्रवाद का गढ़ बन रहा है। एंटलोप में मुस्लिम आबादी काफी ज़्यादा है, जिसका अनुमान इसी आंकड़े से लगाया जा सकता है कि सभी शुरुआती स्कूलों में 52.4% छात्र अरब, उत्तरी अफ्रीका या मध्य-पूर्व से सम्बंध रखते हैं। प्रतिबंधित उग्रपंथी संगठन शरिया बेल्जियम के एंटवर्प से ही कार्यरत था। देश में अब तक के सबसे महत्त्वपूर्ण मुकदमों में बेल्जियम की एक अदालत ने 2015 में पाया कि इस संगठन के 45 सदस्य आतंकी हरकतों के लिए दोषी हैं। 2015 में शहर के 40 से अधिक लोगों को सीरिया में आतंकवादी लड़ाई में शामिल होने या वहां जाने के लिए प्रेरित करने का दोषी पाया गया। इस तरह उग्रवाद ने बेल्जियम को अपना एक मजबूत ठिकाना बना लिया है।

यूनाइटेड किंगडम में उग्रवाद के पनपने और विकसित होने की अलग कहानी है। ब्रिटेन में इस्लामिस्ट संगठन अल -मुहाजिरोन (AM) का गठन 1983 में ओमर बकरी मोहम्मद ने किया था। उग्रपंथी ब्रिटिश मुस्लिमों की बहुतायत के बाद 2010 में संगठन पर प्रतिबंध लग गया। इसके बाद AM की गतिविधियों को इस्लाम 4यूके नाम के संगठन ने आगे बढ़ाया। ये संगठन वेब पर आधारित था और इसने इंटरनेट के ज़रिये अपने उग्रपंथी विचारों का प्रसार किया। इस्लाम 4यूके का मुख्य मकसद ब्रिटेन को इस्लामिक देश बनाना और देश में शरिया लागू करना था। आतंकवाद विरोधी विचार मंच - हेनरी जैकसन सोसाइटी के एक रिसर्च के मुताबिक 12 सालों में AM पर प्रतिबंध लगने से पहले अंतिम 12 सालों में इस्लामिक आतंकवाद के लिए दोषियों में 18% इस संगठन से पहले या वर्तमान में जुड़े थे। हाल तक यूनाइटेड किंगडम में उग्रपंथी इस्लामिक संगठन खुलेआम अपने विचारों का प्रचार करते थे। लेकिन 2005 में लंदन में बमबारी के बाद स्थिति बदल गई। 2005 के बाद कई उग्रपंथी या तो सलाखों के पीछे चले गए या सामाजिक रूप से भूमिगत हो गए। उदाहरण के तौर पर AM का सह-संस्थापक अंजिम चौधरी इन दिनों ऑनलाइन भाषणों के ज़रिये लोगों को ISIS में शामिल होने के लिए बरगला रहा है। ट्विटर पर 32,000 से भी अधिक फॉलोवर्स के साथ चौधरी अक्सर पश्चिमी सरकारों की आलोचना करता है , हिरासत में ताज़ा लिये गए मुस्लिमों की वकालत करता है और उग्रपंथी इस्लामिक विचारधारा का प्रचार करता है। ब्रिटेन में उग्रपंथियों की गतिविधियों में आई तेजी स्पष्ट करती है कि वहां के समाज में उग्रपंथ का जहर घुल सकता है।

यूरोपीय संघ के देशों में जर्मनी और फ्रांस में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है। 2010 के आंकड़ों के मुताबिक जर्मनी में 48 लाख (देश की आबादी का 5.8%) और फ्रांस में 47 लाख (देश की आबादी का 7.5%) मुस्लिम थे। फ्रांस में मुस्लिम आबादी अधिकतर गरीबों के लिए बने 'बॉलियु' में रहते हैं। पेरिस के एक विचार मंच – द फ्रेंच सेन्टर फॉर इंटेलिजेंस रिसर्च के अनुमान के मुताबिक फिलहाल करीब 5 लाख मुस्लिम उग्रपंथी विचारधारा से प्रभावित हैं। इस बीच एक फ्रेंच अखबार 'ल फिगारो' की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के 2200 में 41 मस्जिद उग्रपंथी गतिविधियों का अड्डा बन गए हैं।

बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के अलावा दूसरे देशों में इस सदी के शुरु से मिले रुझानों के मुताबिक आतंकवाद निरोधी योजनाओं को यूरोपीय संघ प्रशासन का प्रमुख अंग बनना चाहिए। हालांकि बाकी देशों में ये योजनाएं राष्ट्रीय योजनाओं के अंतर्गत आ सकती हैं। उदाहरण के तौर पर 2009 में लिस्बन संधि के दौरान फ्रांस और ब्रिटेन ने विशेष रूप से इस बात पर ज़ोर दिया कि खुफ़िया जानकारियों पर सिर्फ संघ का नियंत्रण नहीं रहना चाहिए। संधि की धारा 73 में ये प्रावधान रखा गया है कि सदस्य देशों के सम्बंधित विभाग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आपसी सहयोग कर सकते हैं। फिर भी राष्ट्रीय सुरक्षा की नीतियां हर देश की आंतरिक नीतियां हैं।

**प्रतिक्रिया**

**बेल्जियम में आतंकवाद निरोधी योजनाएं**

बेल्जियम में आतंकवाद निरोधी नीतियों की ज़रूरत 1970 और 1980 के दशक से महसूस की जा रही थी , जब देश सेल्युलस कम्यूनिस्ट कॉम्बैटेंट्स (पूंजीवाद का विरोध करनेवाला संगठन ) की हिंसक गतिविधियों से ग्रस्त था। 1990 के दशक में हिंसक गतिविधियों को इस्लामिक साल्वेशन फ्रंट (FIS) ने आगे बढ़ाया। लेकिन आतंकवाद से लड़ने के लिए बेल्जियम में पहला कानून 2003 में जाकर बना। 2003 से देश में लागू इस कानून के प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- द टेटोरिस्ट ऑफेंसेज़ एक्ट 2003 ने बेल्जियम क्रिमिनल कोड में विभिन्न धाराओं का प्रावधान रखा , जो विभिन्न तरह की आतंकी गतिविधियों से जुड़ी हैं।
- 27 दिसम्बर 2005 के अधिनियम ने कोड ऑफ क्रिमिनल की जांच और न्यायिक कोड में सुधार किये , ताकि आतंकवाद और गंभीर सामूहिक अपराध से जुड़ी जांच प्रक्रिया सरल हो।
- 4 फरवरी 2010 के अधिनियम ने खुफ़िया और जांच एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए विस्तृत और विशेष तरीके अपनाने के श्रृंखलाबद्ध निर्देश जारी किये।
- इन नियमों के अतिरिक्त बेल्जियम ने 2005 में एक राष्ट्रीय उग्रवाद निरोधी योजना भी जारी की , जिसमें इस्लामिक उग्रवाद और आतंकवाद को रोकने के लिए सक्रिय, प्रतिरोधी और सजा देनेवाले प्रावधान शामिल थे।

इनके अलावा बेल्जियम में संवैधानिक ढांचे के भीतर अधिकारों का विभाजन स्पष्ट किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री आम नीतियों के लिए, जबकि विभिन्न मंत्री ख़ुफ़िया और सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न मंत्री स्तरीय कमेटियों के लिए ज़िम्मेदार थे। जहां तक यूरोपीय संघ के साथ सहयोग का सवाल है तो बेल्जियम कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों का हिस्सा है। मसलन , यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ एक्सट्राडिशन (1957) और इसके दो अतिरिक्त मसौदे , यूरोपियन कन्वेंशन ऑन मुचुअल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स (1959) और इसका एक अतिरिक्त मसौदा। दिसम्बर 2005 में पारित यूरोपीय संघ की आतंकवाद निरोधी योजना में बेल्जियम सक्रियता से साथ दे रहा है।

नवम्बर 2015 में पेरिस में और मार्च 2016 में ब्रुसेल्स में हुए आतंकवादी हमलों ने यूरोपीय संघ और सदस्य देशों में एक संगठित आतंकवाद निरोधी योजना लागू करने की मांग को हवा दी। ख़ासकर बेल्जियम और फ्रांस जैसे देशों में उग्रवादी गुटों की मौजूदगी से इस मांग को बल मिला है। 13 नवम्बर को पेरिस में ISIS आतंकवादियों की गोलीबारी से 130 बेगुनाह मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। माना जा रहा है कि इन हमलों की साजिश बेल्जियम के नागरिक अब्देलहामिद अबाउद ने रची थी। अबाउद के बारे में जो जानकारी मिली, उसके मुताबिक वो ब्रुसेल्स के मोलेनबीक में पला-बढ़ा और उसका रिकॉर्ड आपराधिक रहा है। 2016 में वो 6 विफल हमलों में से 4 में शामिल होने का आरोपी है। माना जा रहा है कि वो 2013 में ISIS में शामिल हुआ था। अबाउद बेल्जियम में आतंकवादियों के प्रशिक्षण से भी जुड़ा रहा है। पेरिस हमले का दूसरा प्रमुख आरोपी सलाह अब्देसलाम एक फ्रांसिसी नागरिक है, जिसकी पैदाइश ब्रुसेल्स की है और जिसे 2016 में मोलेनबीक ज़िले में पुलिस ने एक छापे में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा 5 दूसरे संदिग्धों और एक हमलावर का नाता भी बेल्जियम से रहा है।

पेरिस आतंकवादी हमले ने निश्चित रूप से आतंकवाद और बेल्जियम का नाता मजबूत किया है। हालांकि वैश्विक आतंकवाद में 2015 में बेल्जियम की अहमियत नहीं रही। फिर भी इस देश में ऐक्शन डायरेक्ट, द रेड आर्मी, युस्कादी ता अस्कातासुना (ETA), द आयरिश रिपब्लिकन आर्मी (IRA) जैसे उग्रपंथी संगठनों और आतंकवादी संगठनों का रुझान बढ़ रहा है। 9/11 से जुड़े दो आतंकवादियों के पास से भी बेल्जियम के पासपोर्ट बरामद हुए थे।

बेल्जियम में इस्लामिक आतंकवाद की पहली आहट 1980 के दशक में ही सुनाई पड़ गई थी। इस लिहाज से वहां के अधिकारियों की नींद देर से टूटी। पेरिस के चार्ली हेब्दो में जनवरी 2015 को आतंकवादी हमले के बाद बेल्जियम पुलिस हरकत में आई और संदिग्धों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी शुरु हुई। नवम्बर 2015 में पेरिस में आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा बंदोबस्त और कड़े किये गए और प्रमुख संदिग्ध सालेह अब्देसलाम को गिरफ्तार करने की कोशिश तेज हो गई। लेकिन बेल्जियम में सुरक्षाकर्मियों की कमी , देश की सुरक्षा के लिए मजबूत ख़ुफ़िया तंत्र का अभाव , केन्द्रीय सरकार की कमजोरियां , विभिन्न प्रशासनिक विभागों में आपसी तालमेल और विश्वास का अभाव और हथियारों के लाइसेंस की दोषपूर्ण नीतियां बेल्जियम की ढांचात्मक और अंदरूनी तंत्र के विकास में रोड़े डालती रहीं, जिनकी वजह से आतंकवाद निरोधी मजबूत योजनाएं नहीं बन पाईं। पेरिस हमले के बाद बेल्जियम सरकार ने सुरक्षा से जुड़े कई कदम उठाए हैं। मसलन , सुरक्षाबलों और ख़ुफ़िया तंत्र के लिए संसाधनों में बढ़ोत्तरी, आतंकवादी गुटों से वापस लौटने वालों की धर-पकड़ और स्थानीय पुलिस, केन्द्रीय सुरक्षा बल और ख़ुफ़िया तंत्र के बीच तालमेल बिठाना। इन योजनाओं पर जल्द ही संसद में बहस होनेवाली है। कुल मिलाकर बेल्जियम सरकार ने 30 नई योजनाओं का ऐलान किया है, जिनमें 12 को 2015 के शुरु में चार्ली हेब्दो हमले के बाद लागू किया गया और बाकी 18 योजनाओं को नवम्बर 2015 में पेरिस हमले के बाद लागू किया गया है। जहां तक बजट का सवाल है तो बेल्जियम सरकार ने 2015 में आतंकवाद से लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरो का प्रावधान रखा, जबकि 2016 में ये राशि बढ़ाकर 400 मिलियन यूरो कर दी गई। इसके अलावा आनेवाले सालों में ढांचागत मजबूती के लिए अलग से खर्च करने की योजना है। उग्रपंथी प्रशिक्षण के लिए सीरिया जानेवालों को लेकर अंदरूनी मामलों और विदेश मंत्रालय को अधिकार दिये गए हैं कि वो ऐसे लोगों के पहचान पत्र और पासपोर्ट जब्त कर लें। बेल्जियम में उग्रवाद से जुड़े कानून में कई बदलाव किये गए हैं और आतंकवाद , उसकी वित्तीय सहायता, वित्तीय मदद के लिए गैर-सरकारी संगठनों के इस्तेमाल को जांच और अभियोजन के दायरे में लाया गया है। आतंकवाद से लड़ने के लिए और क्या किये जा सकते हैं – इसका आकलन करने और भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए बेल्जियम में एक संसदीय समिति का भी गठन किया गया है। इसके अलावा आतंकवाद से जंग के लिए कुछ और कदम उठाए गए हैं। इनमें यात्री नाम रिकॉर्ड (Passenger Name Record या PNR) प्रणाली अपनाना, सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाना , सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए यूरोपोल से बेहतर तालमेल और आतंकवादी विचारधारा के प्रसार को रोकने से जुड़े कदम और उसके विरोध में प्रचार की व्यवस्था शामिल हैं। उग्रवाद के ख़िलाफ़ नए कदमों में मोलेनबीक में उग्रवाद विरोधी नहर योजना बनाई गई है , जिसमें शहर के मुख्य नहर से मिलने वाले सात सबर्ब शामिल हैं। बेल्जियम ने सीरिया स्ट्रैटेजिक कम्यूनिकेशन एडवाइजरी टीम (SSCAT) का गठन किया है , जिसका खर्च यूरोपीय संघ उठा रहा है और जिसका मकसद उग्रवाद से लड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ संचार योजनाएं उपलब्ध कराना है। बाहरी सीमाओं के प्रबंधन के लिए यूरोप में खतरे के संकेतों के आधार पर यूरोपीय संघ के नागरिकों का आवागमन रोका जाएगा। निश्चित रूप से ये योजनाएं सही दिशा में जा रही हैं, फिर भी बेल्जियम में खतरे का विशाल स्तर देखते हुए कुछ नया करने की सलाह दी जा सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि बेल्जियम में डेटाबेस और सूचना व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पारस्परिक समन्वय और मजबूत करने की आवश्यकता है। ऑनलाइन उग्रपंथी और आतंकवादी प्रचार को रोकने के लिए सरकारी तंत्र और आम आदमी के बीच बेहतर तालमेल की ज़रूरत है। कम विकसित इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ने से रोकने के लिए ख़ासतौर से स्थानीय

स्तर पर उग्रवाद विरोधी सुरक्षा बंदोबस्त किये जा सकते हैं। आप्रवासी समुदायों को अलग -थलग पड़ने से रोकने के लिए राजनीतिक गतिविधियों में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है। आतंकवादी हमले की स्थिति में ख़ुफ़िया और सुरक्षा एजेंसियों का स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल अच्छे नतीजे दे सकता है। इसके अलावा ख़ुफ़िया सूचनाएं इकट्ठा करना एक ख़ास कला है, जिसके लिए अधिकारियों को ख़ास प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ये ऐसे प्रशिक्षण होते हैं जो उन्हें आतंकवादी खतरों और हमलों की स्थिति में त्वरित गति से सही एजेंसी को सूचना देने के काबिल बनाते हैं। नीतियों के स्तर पर भी बेहद ज़रूरी है कि उन विचारधाराओं के व्यक्तिगत या राजनीतिक स्तर पर वैश्विक से लेकर स्थानीय स्तर पर तगड़ा वैचारिक विरोध किया जाए, जो आतंकवादियों को हमले करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। इन नीतियों को दूसरे देशों के साथ भी साझा करना चाहिए और आतंकवाद से लड़ने के लिए साझा योजनाएं बनानी चाहिए।

**यूनाइटेड किंगडम में उग्रवाद निरोधी योजनाएं**

यूनाइटेड किंगडम की ख़ुफ़िया एजेंसी यूरोप के सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है , जो देश की सुरक्षा से जुड़े खतरों और उन्हें दूर करने के उपायों की पड़ताल करती है। अब यूनाइटेड किंगडम में ख़ुफ़िया एजेंसियों का महत्त्वपूर्ण एजेंडा है - आतंकवाद। ऐतिहासिक रूप से सीक्रेट सर्विस ब्यूरो (SSB) का गठन 1909 में किया गया था, जिसका मकसद था जर्मनी से होनेवाले संभावित खतरों से लड़ना। सिक्यूरिटी सर्विस या MI5 घरेलू खतरों से निपटती थी, जबकि सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस या MI6 देश को बाहरी खतरों से बचाने का काम करती थी। दोनों एक साथ SSB के दायरे में काम करते थे। विश्व युद्ध के सालों में MI5 को रूस के जासूसी तंत्र और नाज़ी जर्मनी के हमलों से निपटना पड़ता था। 1970 के दशक के अंत में MI5 को आतंकवादी गुटों से जूझने का जिम्मा सौंपा गया। इतने लम्बे अंतराल में उत्तरी आयरलैंड के खतरों और इस्लामिक आतंकवाद के उदय ने MI5 के कामकाज के तरीकों में आमूल-चूल परिवर्तन ला दिया। लेकिन जिस घटना ने यूनाइटेड किंगडम को अपने सुरक्षा तंत्र की गंभीरता से समीक्षा करने और उसे नवगठित करने पर मजबूर किया, वो था 9/11 का आतंकवादी हमला। हालांकि इससे पहले 1998 में ही स्ट्रैटेजिक डिफेंस रिव्यू में हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों के अधिकार बढ़ा दिये गए थे। 2006 में Cross government counter terrorism strategy (CONTEST) और Cross government counter-proliferation framework नीतियां अपनाई गईं। CONTEST के चार मुख्य आदर्श हैं और हर आदर्श के कई उद्देश्य हैं:

- अनुसरण: यूके में आतंकवादी हमले रोकना और देश से बाहर देश के हितों का ध्यान रखना
- रोकथाम: आम लोगों को आतंकवादी बनने या आतंकवाद का समर्थन करने से रोकना
- संरक्षण: आतंकवादी हमलों के ख़िलाफ़ संरक्षण मजबूत करना और
- तैयारी: आतंकवादी हमलों की स्थिति में उसका असर कमज़ोर करना

CONTEST से उम्मीद की जाती है कि वो अपने मकसद के असर का सही आकलन करे , संसाधनों का आनुपातिक वितरण करे, प्रतिक्रिया में पारदर्शिता लाए , कार्य करने में विविधता लाए , दूसरी एजेंसियों के साथ सहयोग करे , और अपने क्रियाकलाप में सक्षम हो। CONTEST की योजना के तीसरे चरण में 2015 तक निपटाए गए खतरों का आकलन और उनसे निपटने की प्राथमिकताओं की समीक्षा करना था।

यूनाइटेड किंगडम में आतंकवाद से निपटने की अगली नीति है राष्ट्रीय सुरक्षा योजना, जो 2008 में प्रकाशित की गई। इस प्रकाशन में उन मूल्यों को उभारने की कोशिश की गई थी, जिनपर योजना आधारित है। मसलन, मानवाधिकार, कानून-व्यवस्था, जिम्मेदार सरकार, न्याय, स्वतंत्रता, सहनशीलता और सभी के लिए मौके। इस योजना में आपसी सहयोग के तीन विन्दुओं को राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्य में शामिल किया गया था – लोगों की सुरक्षा , यूनाइटेड किंगडम के वैश्विक असर का प्रचार और यूनाइटेड किंगडम की सम्पन्नता।

यूनाइटेड किंगडम की ये ख़ासियत रही कि उसने इस सदी के शुरु से ही कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने शुरु कर दिये थे। नए कानून में आतंकवादी गतिविधियों और संगठनों को ध्वस्त करना , नियम लागू करने में लचीलापन और विभिन्न आतंकवादी गुटों के विलय को रोकने के लिए ढांचा तैयार किया गया। इस सिलसिले में छह महत्त्वपूर्ण कानून निम्नलिखित हैं:

1. 'The Terrorism Act 2000' में आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने और देश निकाला देने का प्रावधान है।
2. 'The Protection of Freedoms Act 2012' में रोकने और तलाशी लेने के नियम रद्द किये गए और उनकी जगह अधिक विशिष्ट अधिकार दिये गए।
3. 'The Terrorism Prevention and Investigations Measures Act' 2011 ने आतंकवाद के मामलों की रोकथाम और जांच का दायरा बढ़ाया।
4. 'The Data Retention and Investigatory Powers Act' 2014 में संचार डेटा को रोकने का प्रावधान है।
5. 'The Counter Terrorism and Security Act' 2015 में लोगों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए इराक और सीरिया जाने से रोकने , पहले से जा चुके लोगों की वापसी रोकने और जेहादी विचारधारा के प्रसार पर रोक लगाने का प्रावधान है।

6. 'The Justice and the Security Act' 2013 ने Closed Material Procedures (CMP) की गोपनीयता को खत्म कर इसे इंग्लैंड और वेल्स के सिविल कोर्ट में मुकदमों का हिस्सा बनाया और खुफ़िया सेवाओं को अपने क्रियाकलापों के लिए संसद के प्रति अधिक जवाबदेह बना दिया।

यूनाइटेड किंगडम में बढ़ते उग्रवाद के देखते हुए प्रधानमंत्री डेविड कैमरुन ने जुलाई 2015 में एक विस्तृत योजना का ऐलान किया, जिसमें आतंकवाद से लड़ने के प्रावधान थे। प्रधानमंत्री ने सरकार की योजना की रूपरेखा सुनिश्चित की , जो निम्नलिखित हैं:

- संचार पर नज़र रखनेवाले Ofcom के अधिकार मजबूत करना, ताकि विदेशी टीवी चैनलों से आतंकवादी संदेशों का प्रसारण रोका जा सके।
- प्रोत्साहन देकर स्कूलों को एकीकृत करना
- इंटरनेट सेवा देनेवाली एजेंसियों से वेबसाइट से आतंकवाद से जुड़ी सामग्रियों को हटाने की मांग
- आतंकवादियों द्वारा जबरदस्ती शादी की शिकार महिलाओं की गोपनीयता आजीवन बनाए रखना
- जेलों में बंद आतंकवादियों से निपटने की योजना में बदलाव
- आतंकवाद निरोधी छोटे-छोटे गुटों के बीच बेहतर समन्वय
- विश्वविद्यालयों को निर्देश कि वो आतंकवादी वक्ताओं की आलोचना करें
- एक नए अनुबद्धता फोरम का गठन

## आतंकवादियों के क्रियाकलाप की गहन जानकारी के लिए अध्ययन की शुरुआत

सीरिया और इराक में चल रहे युद्ध में यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हुआ और सितम्बर 2014 में हवाई हमले किये। विमान स्थित खुफ़िया व्यवस्था, निरीक्षण, सैनिक सर्वेक्षण और सीरिया में संयुक्त कार्रवाई में भी इसने योगदान दिया। हाल में ब्रूसेल्स में हुए आतंकवादी हमले के बाद यूके सरकार ने परमाणु हथियारों को सुरक्षित रखने के लिए एक करोड़ पाउंड के निवेश का फैसला किया। इसने अमेरिका के साथ मिलकर ब्रिटेन के परमाणु उद्योग की कमियों की जांच की और तुर्की , दक्षिण कोरिया, जापान और अर्जेंटीना के विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया। यूनाइटेड किंगडम में उग्रवाद निरोधी गतिविधियां काफी सक्रिय हैं। नतीजा ये है कि देश में ऐसी सूचनाओं में इज़ाफा हुआ है , जिनमें सामाजिक संगठनों को व्यक्ति विशेष पर उग्रवादी गतिविधियों में लिप्त होने का शक होता है। फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत नेशनल पुलिस चीफ काउंसिल के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2115 में करीब 3995 संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी मिली, जबकि 2014 में ये आंकड़ा सिर्फ 1681 था।

जैसा ऊपर बताया जा चुका है कि यूनाइटेड किंगडम में आतंकवाद से लड़ने के लिए तुलनात्मक दृष्टि से पुराना कानूनी ढांचा है। फिर भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जिनका कानूनी ढांचे में उल्लेख नहीं है। इन मुद्दों के बारे में संक्षिप्त ब्योरा निम्नलिखित है:

आतंकवादी गतिविधियां परिस्थितियों के मुताबिक तय होती हैं, जो इनके प्रसार में मदद करती हैं। लिहाजा ये बेहद ज़रूरी है कि नीति निर्धारक उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखें। इसके अलावा मौजूदा नियमों में आतंकवाद को वित्तीय सहायता , आतंकी संदेशों के प्रसार में सोशल मीडिया का योगदान और आतंकवाद के लिहाज से संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल नहीं हैं। इराक और सीरिया में सैनिक कार्रवाई का Stop the War Coalition जैसे संगठनों ने विरोध किया है , जो अफगानिस्तान, इराक, इरान, सीरिया, लीबिया और दूसरी जगहों पर ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई का विरोध करता आया है। शायद सैनिक कार्रवाईयों का विस्तार वैसे नतीजे लाने में असमर्थ है , जिनकी उम्मीद की जाती है। ISIS ने 2015 से ब्रिटेन के ख़िलाफ़ समय-समय पर बदले की कार्रवाई शुरु कर दी है , और मध्य पूर्व में अपने ख़िलाफ़ कार्रवाई करनेवाले ब्रिटेन और उसके मित्र देशों को चेतावनी देता आ रहा है। यूनाइटेड किंगडम आत्मरक्षा के नाम पर सैनिक कार्रवाई को उचित ठहरा रहा है , लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि आतंकवाद निरोध के नाम पर सैनिक कार्रवाई ना सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों पर खतरा है , बल्कि शांतिपूर्ण सहयोग के यूरोपीय संघ के बुनियादी मूल्यों के भी विरुद्ध है, जिसका ब्रिटेन एक अहम सदस्य है।

इसके अलावा ब्रिटेन की CONTEST नीति के PREVENT यानि रोकथाम विन्दु की भी उग्रवाद को रोकने में नाकाम होने की आलोचना हो रही है। इस विन्दु का काम था आम लोगों को और ख़ासकर युवाओं को आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़ने से रोकना। यूनाइटड किंगडम से इराक और सीरिया में आतंकवादियों में शामिल होनेवालों की बात करें , तो आंकड़ों के मुताबिक पूर्वी लंदन से ISIS में शामिल होनेवाली लड़कियों की संख्या करीब 800 है। माना जा रहा है कि ये लड़कियां आतंकवादी संगठन की महिला ब्रिगेड में शामिल हो गई हैं , और इनका परिवार पिछले चार सालों से सीरिया जा रहा है। इस आंकड़े ने रोकथाम विन्दु की कारगरता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं। यूनाइटेड किंगडम में आतंकवादी गतिविधियों पर नज़र रखनेवालों ने भी उन सरकारी नीतियों की समीक्षा करने की पैरोकारी की है, जो मुस्लिम समुदाय में अविश्वास की भावना पैदा कर रहे हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि यूनाइटेड किंगडम ने आतंकवाद से लड़ने के लिए बहुआयामी योजना तैयार की है , लेकिन ऊपर जिन कमज़ोरियों की चर्चा की गई है, उनका गहराई से विश्लेषण करने की ज़रूरत है, साथ ही संवेदनशीलता भी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो सकती है। आतंकवाद निरोधी योजनाएं तैयार करते वक्त उन युवाओं की शिक्षा , प्रशिक्षण और सहयोग पर भी ध्यान देना चाहिए, जो समाज में खुद को अलग -थलग महसूस करते हैं। साथ ही विभिन्न पृष्ठभूमि वाले पड़ोसियों के भी स्थानीय लोगों से

मेलजोल बढ़ाने की आवश्यकता है। फुटबॉल फॉर यूनिटी और एक्टिव चेंज फाउंडेशन जैसी संस्थाओं ने इस दिशा में काम करना शुरु कर दिया है , ताकि एक सौहार्द्रपूर्ण और एकीकृत समाज का निर्माण हो सके। इसके अलावा सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाना और यात्रा के लिए ज़रूरी कागज़ात की गहराई से जांच भी आतंकवादियों के एक जगह से दूसरी जगह जाने और उग्रवाद पर लगाम कसने में मददगार हो सकती है।

**फ्रांस में आतंकवाद निरोधी योजनाएं**

फ्रांस में आतंकवादी हिंसा का इतिहास पुराना है। दरअसल 1834 में जब फ्रांस ने अल्जीरिया का अपने साथ विलय कर लिया था, उसी समय वहां आतंकवाद का जन्म हो गया था। यूरोपीय फायदों के नाम पर अल्जीरिया के निवासियों के शोषण से आम लोगों में असंतोष फैला हुआ था। अल्जीरिया के असंतोष की अगुवाई फ्रेंच शिक्षा प्राप्त उच्च वर्गीय अल्जीरियाई अभिजात्य वर्ग कर रहा था, जो 1920 और 1930 के दशक के अरब राष्ट्रवाद के प्रेरित था। आज़ाद अल्जीरिया की मांग 1937 में गठित 'पार्टी ऑफ द अल्जीरियाई पीपुल' (PPA) के राष्ट्रवादी नेताओं की अगुवाई में शुरु हुई। 1954 में 'फ्रॉन द लिबरेशेन नैश्योनाल' (FLN) नाम के एक और ग्रुप का गठन हुआ , जिसने अल्जीरिया की आज़ादी के लिए उसके सैनिक ठिकानों , पुलिस टुकड़ियों और दूसरी फ्रेंच सम्पत्तियों पर हमले करने शुरु किये। जवाब में फ्रेंच सरकार ने अल्जीरिया के उपनिवेश होने की पुष्टि कर दी। FLN के जवाब में फ्रांस के पारामिलिट्री संगठन 'द ईयामी सीकरेत' (OAS) ने अल्जीरिया के आज़ादी आंदोलन का विरोध करना शुरु किया। OAS ने 1961 में स्ट्राबर्ग-पेरिस ट्रेन पर बमबारी की , जिसे फ्रेंच मीडिया 2015 में पेरिस आतंकवादी हमले के पहले सबसे भयंकर आतंकवादी हमला मानती है। मार्च 1962 में फ्रांसिसी सरकार और FLN के बीच युद्धविराम समझौता हुआ। जुलाई 1962 में जनरल चार्ल्स दे गली की अगुवाई में जनमत संग्रह हुआ, जिसके आधार पर अल्जीरिया को फ्रांस से आज़ादी मिल गई।

एक्शन डायरेक्ट जैसी पूंजीवाद विरोधी वामपंथी उग्रवादी संगठनों ने 1970 और 1980 के दशक में बमबारी और गोलीबारी की झड़ी लगा दी। The Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia (ASALA) ने अर्मेनिया के मुद्दे पर 1983 में ओरली एयरपोर्ट पर बमबारी की।

अल्दीरिया में राजनीतिक-धार्मिक कारणों को लेकर आतंकवाद का उदय 1990 के दशक में हुआ। इस दौरान अल्जीरिया में घरेलू झगड़े शुरु हो गए थे। 1991 में फ्रेंच में परिवर्तित GIA नाम से हथियारबंद इस्लामिक संगठन ने अल्जीरिया की धर्मनिरपेक्ष सैनिक सरकार के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया था। इस जंग का असर 1990 के पूरे दशक के दौरान देखने को मिला, क्योंकि GIA ने फ्रांस समेत यूरोप के कई देशों में अपना आधार बना लिया था। फ्रेंच अधिकारियों ने फ्रांस में संदिग्ध इस्लामिक उग्रपंथियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरु कर दी। जवाब में अल्जीरिया के आतंकवादियों ने 1994 में एयर फ्रांस के एक विमान को हाईजैक कर लिया और इस्लामिक साल्वेशन फ्रंट (FIS) के दो नेताओं की रिहाई की मांग की। अल्जीरिया सरकार ने 1992 में इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। विमान हाईजैक होने पर फ्रेंच कमांडो हरकत में आए और मारशिल्स एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लेकर सभी आतंकवादियों को मार गिराया। इस घटना के बाद फ्रांस के विभिन्न इस्लामिक आतंकवादी संगठनों पर सरकार ने ताबड़तोड़ हमले किये और उनका नेटवर्क तोड़ने में काफी हद तक सफलता पाई। फिर भी GIA ने 25 जुलाई 1995 में सेंट माइकेल मेट्रो स्टेशन पर बमबारी कर ही डाली।

9/11 के बाद वैश्विक आतंकवाद को सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा जाने लगा। यूरोप हो या दूसरे देश , आतंकवाद ने तमाम सरकारों की नींद उड़ा दी। इस खतरे से निपटने के लिए कानून में धड़ाधड़ बदलाव होने लगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की नई इबारत लिखी जाने लगी। नए सहयोगों में यूरोपीय देशों की सिफारिशें सबसे अधिक मुखर रहीं।

हालांकि फ्रांस में आतंकवाद निरोधी कानून में सबसे पहले 9 सितम्बर 1986 को ही बदलाव घोषित किये गए थे , जिन्हें समय-समय पर मजबूत किया जाता रहा। फ्रांस में आतंकवाद से जुड़े कानून को सख्त बनाना लगातार हो रहे आतंकवादी हमलों से जूझने की विवशता थी। इस सिलसिले में तीन विन्दुओं का जिक्र करना ज़रूरी है , जिन्होंने फ्रांस में कानून को मजबूत बनाने में योगदान दिया: a) विशेष नियम, जिन्होंने विस्तार से आतंकवाद की व्याख्या की। b) विशेष कार्यविधि सम्बंधी नियम , जिन्होंने पड़ताल के लिए ख़ास तकनीकि अपनाने की इजाज़त दी। और c) विशिष्ट ख़ुफ़िया और जांच सेवाएं। फौजदारी नियमावली की धारा 421-2 के तहत फ्रांस के कानून ने आतंकवादी गतिविधियों की स्पष्ट व्याख्या की। इसके अलावा विभिन्न तरह की आतंकवादी गतिविधियों के लिए अलग -अलग सजाओं का भी प्रावधान शामिल किया गया। 21 दिसम्बर 2012 को लागू कानून में वैसे सभी फ्रांसिसी नागरिकों को कानून के दायरे में लाने और दोषी पाए जाने पर सजा देना शामिल किया गया , जिन्होंने फ्रांस में तो आतंकवादी कार्रवाई नहीं की थी , लेकिन फ्रांसिसी सीमा के बाहर आतंवादी प्रशिक्षण शिविरों में भाग लिया था या दूसरी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे। आतंकवाद आरोपियों की जांच के दौरान विशेष कार्यविधि नियम अपनाए गए और जांच का दायरा सख्त बनाया गया। मसलन , कुर्की, बिना सम्बंधित व्यक्ति से मंजूरी लिये तलाशी , विडियो से निरीक्षण, फोन की टैपिंग, मुखबीरों को भुगतान इत्यादि। आतंकवाद निरोधी कार्रवाई में फ्रांस की अदालतों को आंशिक रूप से सार्वभौमिक अधिकार दिये गए, जिसके बारे में फौजदारी नियमावली की धारा 689-1 से लेकर 689-10 तक व्याख्या की गई है। इसके अलावा आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में मददगार लोगों की सुरक्षा , सजा होने के पूर्व आतंकवादियों को मदद पहुंचाने का आरोप स्वीकार करनेवालों को आंशिक या पूरी छूट , आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में मददगार सजायाफ़्ता मुजरिमों की सजा में कटौती और आतंकवादी कार्रवाईयों के शिकार लोगों को विशेष मुआवजा देना शामिल हैं।

फ्रांस में 2006 से रोकथाम, जांच और नीतियों को लागू करने का अधिकार पेरिस रिजनल कोर्ट को दे दिया गया है। न्यायिक अधिकारियों में आतंकवाद निरोधी विशेषज्ञ न्यायाधीश : मुकदमा चलानेवाले अधिकारी, जांच टीम, आतंकवाद के मुकदमों पर कार्रवाई करनेवाले न्यायाधीशों का प्रशिक्षण, और सजा पर अमल करवाने वाले न्यायाधीश शामिल हैं। आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम में अंदरूनी मामलों का मंत्रालय , रक्षा मंत्रालय, आर्थिक मामलों के मंत्रालय के अलावा वित्त और उद्योग मंत्रालय शामिल हैं। The Central Domestic Intelligence Directorate (DCRI) फ्रांस में अंदरूनी मामलों के मंत्रालय का ख़ुफ़िया विभाग है। The Anti-Terrorist Co-ordination Unit (UCLAT) अंदरूनी मामलों का मंत्रालय , रक्षा मंत्रालय, आर्थिक मामलों का मंत्रालय और वित्त एवं उद्योग मंत्रालयों के विभिन्न अंगों से प्राप्त सूचनाएं इकट्ठा करता है। रक्षा मंत्रालय में the Directorate General of External Security (DGSE) फ्रांस के बाहर से इकट्ठा सूचना देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्थिक मामलों के मंत्रालय, वित्त एवं उद्योग मंत्रालय के भी कई विभाग आतंकवाद से लड़ने में अपनी -अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। The National Directorate of Customs Information and Investigations ( DNRED) कस्टम और आतंकवादियों को आर्थिक मदद देने से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करता है , उनका विश्लेषण करता है और उन्हें सम्बंधित विभागों तक पहुंचाता है। The TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) मनी लॉन्डरिंग और आतंकवादियों को वित्तीय मदद पहुंचाना नाकाम करता है और ऐसी एजेंसियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है। ये अपना डेटा तैयार करता है , दूसरे मंत्रालयों के तैयार डेटा से उसकी तुलना करता है और ज़रूरत पड़ने पर इनका आकलन सम्बंधित कोर्ट को देता है। The FINATER यूनिट (आतंकवाद को वित्तीय मदद रोकने के लिए मंत्रालयों के दिशानिर्देश तैयार करने और लागू करने के लिए अक्टूबर 2001 में गठित) अन्य कार्यों के अलावा आतंकवादियों की सम्पत्ति जब्त करता है। इससे पहले फ्रांस ने जिन अंतरराष्ट्रीय समझौतों को स्वीकार किया , उनमें यूरोपीय सम्मेलन में 20 अप्रैल 1959 को पारित फौजदारी मामलों में आपसी सहयोग और इसके दो प्रोटोकॉल शामिल थे। वर्तमान में फ्रांस फौजदारी के मामलों में करीब 50 द्विपक्षिय आपसी समझौतों का हिस्सा है। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवाद निरोधी गतिविधियों का समर्थन करता है। ये दूसरे मंचों पर भी , जैसे 2003 और 2010 में G8 सम्मेलन में आतंकवाद का विरोध करता रहा है। फ्रांस Financial Action Task Force (FATF) के संस्थापक सदस्यों में एक है , जो आतंकवादियों को मनी लॉन्डरिंग और वित्तीय मदद के विरोध में लड़ रहा है।

अतीत के कड़वे अनुभवों और वर्तमान में कई आतंकवादी हमलों को देखते हुए फ्रांस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत की है। मसलन 9/11 हमलों के बाद इस्लामिक मेघरेब (AQIM) में अल क़ायदा जैसे अफगान नेटवर्क से जुड़े संदिग्धों को हिरासत में लेना संभावित आतंकवादी खतरों से निपटने की दिशा में एक कदम था। नतीजा ये निकला कि जनवरी 2015 में चार्ली हेब्दो से पहले कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई। चार्ली हेब्दो आतंकवादी हमले को अल क़ायदा द्वारा इस पीढ़ी का सबसे खतरनाक हमला करार दिया गया। आतंकवादियों ने बेहद गुपचुप तरीके से अभिव्यक्ति और धर्म की आज़ादी पर हमला बोला। फ्रांस की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका के दफ्तर में हुए आतंकवादी हमले ने चालीस लाख लोगों को एक छत के नीचे ला खड़ा किया। इनमें बीस लाख लोग सिर्फ पेरिस के थे, जिन्होंने आतंकवादियों के ख़िलाफ़ अपनी एकता दिखाने के लिए प्रदर्शन किया। इसके बाद नवम्बर 2015 में पेरिस में एक के बाद एक कई आतंकवादी हमले हुए , जिन्हें मैड्रिड में 2004 में हुई बमबारी के बाद सबसे जघन्य करार दिया गया। ISIS ने उन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें 'First of the Storm' बताते हुए भविष्य में और हमलों की चेतावनी दी। हमलों के कुछ ही घंटों के भीतर सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया , जिससे पुलिस को सामान्य न्यायिक प्रक्रिया से ज़्यादा अधिकार मिल गए। हाल में हुए एक सर्वे ने स्पष्ट किया है कि ज़्यादातर लोग आपातकाल के पक्ष में हैं , लेकिन मानवाधिकार संगठनों और वकीलों ने इस अधिकार का दुरुपयोग होने की चेतावनी दी है।

ISIS हमलों की क्रूरता और एक ही साल में दो बड़े आतंकवादी हमलों से आतंकवाद निरोधी गतिविधियों , ख़ुफ़िया तंत्र और कानून का दायरा और बढ़ाने की मांग तेज होने लगी है। पेरिस हमलों के बाद फ्रांस में आतंकवाद निरोधी गतिविधियों की कड़ी आलोचना हुई। फ्रांस में कानून लागू करनेवालों को अभी तक हमले के मास्टरमाइंड अब्देलहामिद अबाउद के सिर्फ एक सहयोगी के बारे में जानकारी हाथ लगी है। पेरिस हमले में आतंकवादियों ने एक ही झटके में 130 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया था। अबाउद के चचेरे भाई हसना अई बुलाहीन भी फ्रेंच अधिकारियों के कब्जे में है, लेकिन आतंकवादी मामलों में नहीं, बल्कि ड्रग से जुड़े मामले को लेकर। फिर भी दो संदिग्धों के हाथ आने के बाद भी कोई और सुराग जुटाने में अधिकारियों को अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। इन हमलों के बाद ही फ्रेंच अधिकारियों को इस बात का अहसास हुआ कि उन्हें सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल और दूसरे विभागों से मिले डेटा की गहन जांच -पड़ताल की ज़रूरत है। 2012 के बाद से जेहादियों के तीन हमलों की साजिश के बारे में फ्रेंच अधिकारियों को समय रहते पता चल गया था। ब्रूसेल्स के यहूदी संग्रहालय में मई 2015 में चार लोगों की हत्या के आरोपी मेहदी नेमूश के सीरिया से वापस लौटने की बात फ्रेंच अधिकारियों को मालूम थी। फिर भी वो बेल्जियम में अपने प्रतिरूपी अधिकारियों को सतर्क करने में नाकाम रहे। फ्रांस की अंदरूनी ख़ुफ़िया एजेंसी ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के संदिग्ध फ्रेंच नागरिक मोहम्मद मेर्हा से भी पूछताछ की थी। बाद में वही मेर्हा फ्रांस के अलग -अलग जगहों पर सात लोगों की हत्या के बाद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था।

फ्रांस में 10 सालों तक आतंकवाद निरोधी जांच करनेवाले न्यायाधीश मार्क त्रिविदिक ने फ्रांस में आतंकवादी हमलों के बाद खुलकर फ्रेंच सुरक्षा एजेंसियों की नाकामियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनके देश की सबसे बड़ी समस्या है कि चुनिन्दे अधिकारियों पर काम का अत्यधिक भार है।

फिर भी फ्रांस ने हर आतंकवादी हमले के बाद अपनी आतंकवाद निरोधी नीतियों की समीक्षा की और उनमें बदलाव भी किये। पेरिस में लगातार दो साल हुए आतंकवादी हमलों ने फ्रांस को आतंकवाद निरोधी नीतियों की समीक्षा करने पर मजबूर कर दिया था। इसी का नतीजा था कि मई 2016 में फ्रांसिसी संसद ने कई आतंकवाद निरोधी योजनाएं पारित कीं। सीमाओं पर सुरक्षा बंदोबस्त कड़े करने के अलावा फ्रांस के अंदरूनी मामलों के मंत्री बरनार्ड कैज़नेव ने पुलिस में भी अतिरिक्त अधिकारी और सिपाहियों की भर्ती की। फ्रांस में आपातकाल लगने के बाद से करीब 10,000 लोगों को देश में आने से रोका गया है। कानून में हुए ताज़ा बदलावों में पुलिस को वैसे लोगों को बिना वकील से सम्पर्क किये चार घंटे तक हिरासत में रखने और उसकी पहचान की पुष्टि करने का अधिकार दिया गया है , जिनपर आतंकवादियों के सम्पर्क में होने का शक है। पुलिस को जानलेवा हमलों को रोकने के लिए जान लेने के भी अधिकार दिये गए हैं। इसके अलावा ग़ैरकानूनी हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए स्टिंग ऑपरेशन के रूप में हथियार खरीदने के अधिकार भी पुलिस को मिले हैं। नए नियमों के मुताबिक सीरिया से लौटे शख्स को एक महीने तक उसके घर में कैद रखा जा सकता है। 25 मई 2016 को पारित कानून के मुताबिक पुलिस और अभियोग पक्ष के वकील को गुपचुप तरीके से वार्ता सुनने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामानों के इस्तेमाल की भी इजाज़त मिल गई है। पहले ये अधिकार सिर्फ ख़ुफ़िया एजेंसियों को ही प्राप्त थे। नए नियमों ने जेल अधिकारियों को कैदियों की तलाशी , कैदियों के कमरों में माइक्रोफोन और कैमरे लगाने और उग्रवादी विचारों के प्रसार को रोकने के अधिकार दिये हैं। इसके अलावा कानूनी मान्यता प्राप्त अधिकारियों , अकादमिक और पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े लोगों के अलावा बाकियों पर आतंकवाद को बढ़ावा देनेवाले वेबसाइट देखने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। फ्रांस में अब भी आपातकाल लगा है , जिससे पुलिस को बिना वारंट छापा मारने और बिना अदालती आदेश के संदिग्धों को घर में कैद करने का अधिकार मिला हुआ है। प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा हुआ है और जनता को गुमराह करनेवाले वेबसाइट पर रोक लगा दी गई है।

आतंकवाद के बढ़ते मकड़जाल का सामना करने के लिए आधुनिक संसाधनयुक्त पुलिस और ख़ुफ़िया बल की ज़रूरत फ्रांस की कानूनी व्यवस्था को महसूस हुई , जिसके बाद पुलिस की ताकत और अधिकारों में इज़ाफ़ा किया गया। पेरिस हमलों के बाद से संस्थागत व्यवस्था निश्चित रूप से मजबूत हुई है। फिर भी ये काफी नहीं है और व्यवस्था के विभिन्न अंगों के बीच सूचनाओं के त्वरित आदान -प्रदान और तेज रफ्तार कार्रवाई के लिए असरदार सहयोग की ज़रूरत बनी हुई है। इसके अलावा उग्रपंथी विचारधारा का प्रसार करनेवाले मस्जिदों पर भी नज़र रखने की आवश्यकता है। धार्मिक विश्वास की उग्रपंथी व्याख्या के काट के रूप में ऐसे मुस्लिम नेताओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है , जो अमन के दायरे में इस्लाम के पाठ की व्याख्या करें। ये धर्मगुरु मुस्लिम युवाओं से बेहतर जुड़ सकते हैं और उनके दिलों में उग्रपंथ विरोधी भावनाएं पैदा कर सकते हैं , जो फ्रेंच अधिकारी नहीं कर सकते। इस तरह इस्लाम के भीतर वैचारिक मतभेदों को लक्ष्य प्राप्ति का रास्ता बनाया जा सकता है।

लगातार आतंकवादी हमलों के खतरों से जूझ रहे यूरोपीय संघ के एक और देश जर्मनी ने भी इस्लाम की आड़ में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की निन्दा की है और इसे अपने देश और पूरे पश्चिमी देशों की सुरक्षा पर सबसे बड़े खतरे और सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखता है। पेरिस में हुए आतंकवादी हमलों ने जर्मनी को भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करने और आतंकवाद निरोधी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उत्प्रेरित किया। इस्लामिक उग्रवादी हमलों को नाकाम करने के लिए नए नियम बनाए गए, जिसमें सैनिक प्रशिक्षण के लिए विदेश यात्रा को जुर्म करार दिया गया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने दो महत्त्वपूर्ण विन्दुओं को ध्यान में रखते हुए आतंकवाद निरोधी कदमों का ऐलान किया। इनसे सुरक्षा अधिकारियों के अधिकारों में बढ़ोत्तरी हुई है और निजी कम्पनियों पर आतंकवाद निरोधी कदम उठाने के लिए जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। सरकार ने विदेशी ख़ुफ़िया एजेंसियों, सूचनाओं की उपलब्धता और उनका आकलन करनेवाली कम्पनियों के बीच तालमेल बढ़ाने पर ज़ोर दिया है। जर्मनी ने BFE (evidence collection and arrest unit plus) के नाम से एक ख़ास पुलिस बल तैयार किया है , जिसे पेरिस जैसे आतंकवादी हमले की स्थिति से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिये गए हैं।

9/11 के बाद जर्मनी ने कई आतंकवाद निरोधी कदम उठाए , जिनमें धार्मिक संगठनों को दिये गए विशेषाधिकार ख़त्म किये गए , उन्हें मिलनेवाले अनुदानों को निरीक्षण के दायरे में लाया गया और यहां तक कि विदेशी आतंकवादी संगठनों से जुड़े और विदेश में आतंकवादी कार्रवाई करनेवालों को भी कानून के कटघरे में लाने का प्रावधान रखा गया। आतंकवादियों के जर्मनी में प्रवेश करने और वहां रहने के विकल्प भी सीमित हो गए , क्योंकि सीमा और हवाई ट्रैफिक कंट्रोल के नियमों को सख़्त बनाया गया। जर्मनी की सबसे महत्त्वपूर्ण ख़ुफ़िया एजेंसिया हैं – द फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस (BND), द फेडरल ब्यूरो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कन्स्टीच्यूशन (BfV) और द मिलिट्री काउंटर इंटेलिजेंस सर्विस (MAD)। इनके अलावा जर्मनी की सबसे महत्त्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसियां हैं – फेडरल ब्यूरो ऑफ क्रिमिनल इंवेस्टिगेशन (BKA) और फेडरल बॉर्डर गार्ड (BGS)। मनी लॉन्डरिंग पर रोक लगाने के लिए अंदरूनी मामलों के मंत्रालय ते तहत नया विभाग खोला गया , जिसका काम वित्तीय खुलासों की सूचनाएं इकट्ठा करना और उनका आकलन करना है। ग़ैरकानूनी आर्थिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए जर्मन फेडरल बैंकिंग सुपरवाइजरी ऑफिस के निरीक्षण में सभी वित्तीय आदान-प्रदान पर नज़र रखा जा रहा है।

ऊपर किये गए विचार-विमर्श से स्पष्ट है कि आज की तारीख में आतंकवाद यूरोप का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। भारी संख्या में आम लोगों के दिलों में डर पैदा कर रही इस समस्या का हड़बड़ी में निदान नहीं खोजा जा सकता। इसका समाधान गहराई से सोच -समझकर ही किया जा सकता है। प्रभावित सरकारों को आतंकवाद से सुरक्षा के लिए अपने बजट बढ़ाने होंगे , सुरक्षा सेवाओं में विशेष रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधनों को स्थान देना होगा और ख़ुफ़िया सेवा , तकनीकि सेवा और आतंकवाद निरोधी संगठनों

को बेहतर बनाना होगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये मुद्दा किसी इकलौते देश की सीमा के भीतर की नहीं है , और यूरोप में भौगोलिक और मानव निर्मित सीमाओं से परे है , जहां अधिकतर देश भौगोलिक रूप से एक -दूसरे से जुड़े हुए हैं। लिहाजा आतंकवाद से जूझने के लिए किसी इकलौती सरकार की अकेली कोशिशों के कामयाब होनी की संभावना कम है। इस स्थिति में एकल के बजाय संयुक्त प्रयास पर ज़ोर देने की आवश्यकता है।

**संयुक्त कोशिशों की ज़रूरतः**

यूरोपीय संघ में आतंकवाद से जूझने के लिए संयुक्त प्रयास के मुद्दे पर अक्सर वाद-विवाद और चर्चा होती रही है। लेकिन 9/11 के बाद वाद-विवाद थम गए। आतंकवादियों के बदले हुए और आधुनिक तौर -तरीके दुनिया के सामने आ गए। ये भी स्पष्ट हो गया कि आतंकवाद से निपटने के लिए पारम्परिक तौर -तरीकों को अलविदा कहने का वक्त आ गया है और अब एकीकृत प्रयास करने होंगे। 20 सितम्बर 2005 को यूरोपीय संघ ने सभी सदस्य देशों के लिए अनिवार्य कर दिया था कि आतंकवादी गतिविधियों में उनके देश में चल रही जांच की जानकारी यूरोपोल और यूरोजस्ट को दी जाए। संघ के फैसले की धारा 2 में कहा गया था, "हर सदस्य देश ये सुनिश्चित करेगा कि पाराग्राफ 4 में उल्लेखित अपराधों से जुड़ी जांच के बारे में और पाराग्राफ 5 में उल्लेखित आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मुकदमों और सजा के बारे में , जो दो या दो से अधिक सदस्य देशों को प्रभावित करते हैं या कर सकते हैं, और इनसे जुड़ी जानकारियां निम्नलिखित को दी जाएं:

(a) युरोपोल को, जो यूरोपोल सम्मेलन के मुताबिक राष्ट्रीय नियमों और उनके प्रावधानों के अनुरूप है, जिसकी जांच की जा सके; और
(b) यूरोजस्ट को, जो यूरोजस्ट के मुताबिक राष्ट्रीय नियमों और उनके प्रावधानों के अनपरूप है, फैसले मुहैया कराएं।"

9/11 के हमले के बाद यूरोजस्ट को सदस्य देशों के बीच जांच और मुकदमों को लेकर बेहतर सामन्जस्य स्थापित करने का जिम्मा सौंपा गया। आतंकवाद के आधुनिक और गंभीर रूप को देखते हुए यूरोपीय संघ के सदस्यों के बीच सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को और बेहतर बनाने की मांग ज़ोर पकड़ने लगी। यूरोपीय संघ के देशों पर मंडरा रहे आतंकवाद की ताज़ा आशंका को हाल में यूरोपोल सामने लाया है, जिसके मुताबिक 2015 में यूरोपीय संघ ने 211 से अधिक सफल या असफल आतंकवादी हमलों का सामना किया है और आतंकवाद से जुड़े मामलों में 1000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पेरिस और ब्रूसेल्स में हुए आतंकवादी हमले ना सिर्फ फ्रांस और बेल्जियम के लिए , बल्कि पूरे यूरोपीय संघ के लिए खतरे की घंटी हैं , जो आतंकवाद निरोधी मसलों पर सूचनाओं के आदान-प्रदान (सदस्य देशों और यूरोपोल के साथ) को पहले से बेहतर बनाने की ओर इशारा कर रहे हैं।

आतंकवाद के बढ़ते नासूर का सामना करने के लिए यूरोपोल को ज़्यादा अधिकार देना तर्कसंगत था , ताकि सदस्य देशों के बीच आपसी और यूरोपोल के साथ सूचनाओं का बेहतर तालमेल हो सके। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यूरोपोल ने जनवरी 2016 में European Counter terrorism Centre (ECTC) लॉन्च किया। ये फैसला नवम्बर 2015 में यूरोपीय संघ के न्यायाधीशों और गृह मंत्रियों की बैठक में लिया गया था। ECTC का गठन कानून व्यवस्था बनाए रखनेवाली एजेंसियों के बीच सूचनाओं के बेहतर आदान-प्रदान के लिए यूरोपोल के तहत किया गया था। ECTS पर विदेशी लड़ाकों पर नज़र रखने , जांच करने, ख़ुफ़िया जानकारी साझा करने , आतंकवादियों को वित्तीय सहायता और ऑनलाइन आतंकवादी प्रचार रोकने , हथियारों की ग़ैरकानूनी सप्लाई के अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असरदार रोकथाम का भी जिम्मा है।

पेरिस हमले के फौरन बाद यूरोपोल ने 60 अधिकारियों को फ्रांस और बेल्जियम जांच को समर्थन देने के लिए नियुक्त किया। इन दो देशों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 800 ख़ुफ़िया सूचनाएं और 1600 से अधिक संदिग्ध वित्तीय आदान-प्रदान के बारे में पता चला।

दिसम्बर 2015 में ऑनलाइन हानिकारक सामग्रियों का पता लगाने के लिए यूरोपीय संघ इंटरनेट फोरम का गठन किया। उग्रवाद के बढ़ते असर को यूरोपीय संघ और सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि भविष्य में आतंकवादियों की भर्ती पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने की सख्त ज़रूरत है। The Radicalisation Awareness Network (RAN) का गठन 2011 में हुआ था और इसका मकसद उग्रवादी गतिविधियों में आम लोगों को शामिल होने से रोकना था। उग्रवाद निरोधी कार्यों के क्रियान्वयन के लिए यूरोपियन कमिशन ने RAN में सेन्टर ऑफ एक्सेलेंस का गठन किया , जो यूरोपीय संघ और आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद से लड़नेवाले हर देश की मदद कर रहा है। सदस्य देशों के साथ मिलकर यूरोपोल ने भी हाल में हुए हमलों के आधार पर ISIS की गतिविधियों के तौर-तरीकों में बदलाव महसूस किया है , ताकि सदस्य देशों को आतंकवादी संगठन से जुड़ी बेहतर सूचनाएं प्रदान की जा सकें। इस दिशा में सदस्य देशों के बीच ख़ुफ़िया जानकारी के लगातार आदान-प्रदान की ज़रूरत महसूस की गई है, ताकि यूरोपीय संघ के देश धार्मिक उन्माद से प्रेरित गुटों पर कड़ी नज़र रख सकें। आतंकवाद से लड़ने के लिए साइबर अपराध और दूसरी आपराधिक गतिविधियों तथा इन सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए यूरोपियन संसद ने मई 2016 में नया नियम तैयार किया , जिससे सीमा-पार अपराधों और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए यूरोपोल के निर्देशों को मजबूती मिली है। सूचनाएं साझा करने में गड़बड़ियां दूर हों , ये सुनिश्चित करने के लिए यूरोपोल के लिए सदस्य देशों को उनके ज़रूरत की सूचनाएं देना अनिवार्य कर दिया गया है। निश्चित रूप से नए नियम आतंकवाद से लड़ने के लिए त्वरित कार्रवाई करने में यूरोपोल के लिए मददगार साबित हुई हैं।

वांछित अपराधियों के लिए चौकन्ना करने या गुमशुदा व्यक्तियों की जानकारी के लिए कानून लागू करनेवाले अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा The Schengen Information System (SIS) काफी सुधरा और असरदार हुआ है , और त्वरित गति से ज़रूरी सूचनाओं की जानकारी मुहैया कराने में कारगर साबित हुआ है। यूरोपियन कमीशन का लक्ष्य ये भी है कि सदस्य देश चोरी हुए और खोए पर्यटन कागज़ात (SLTD) की जानकारी के लिए देश से बाहर जानेवाली सभी सीमाओं पर SIS और इंटरपोल के डेटाबेस का पूरा इस्तेमाल करें।

आतंकवाद से जूझने के लिए साझा अभियान ने सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक फर्क और व्यक्तिगत फैसलों से आगे बढ़कर एकीकृत और संगठित कार्रवाई करने में सहायता की है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर योगदान देनेवालों को भी एकीकृत करने की आवश्यकता है। हाल में यूरोपीय देशों में हुए आतंकवादी हमलों ने देशों के बीच सहयोग और तालमेल बढ़ाने की ज़रूरतों को रेखांकित किया है।

**उपसंहार:**

कार्यनीतियों की बात करें तो आतंकवादी योजनाएं लगातार बदल रही हैं। हमला करने के प्रकार और तरीके अधिक प्रभावी हो रहे हैं और आतंकवाद से निपटने की चुनौती लगातार बढ़ रही है। लिहाजा आतंकवाद से लड़ने की योजनाओं को भी लगातार अपडेट करने और सुधारने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हाल में आतंकवादी हमलों के बाद सदस्य देशों के बीच आपसी तालमेल बढ़ा है। आतंकवाद निरोधी वर्तमान नीतियों को योजनापूर्वक विस्तृत और आसान बनाया जा सकता है , जिनसे आतंकवाद के वर्तमान स्वरूप से लड़ने में अधिक प्रभावी सहायता मिले। आतंकवाद निरोधी नीतियां स्पष्ट कर रही हैं कि यूरोपीय संघ के लिए ये वक्त मिलजुलकर और साझा कार्यक्रम के तहत ही आतंकवाद से लड़ने का है। सदस्य देशों को हर वक्त चौकन्ना रहना होगा और आतंकवादी गतिविधियों और अपनाए जा रहे तरीकों के बारे में पहले से जानकारी हासिल करने और सतर्क रहने में सक्षम रहना होगा। इस लक्ष्य को हासिल के लिए ख़ुफ़िया जानकारियां और ज्ञान साझा करना अनिवार्य है। ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आतंकवाद से लड़ने के लिए साझा अभियान और यूरोपीय संघ के फैसले मददगार साबित होंगे।

***

**डॉ. संघमित्रा शर्मा द इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, सप्रु हाउस, नई दिल्ली में शोधकर्ता हैं।*
*डिस्क्लेमर: आलेख में व्यक्त किये गए विचार शोधकर्ता के व्यक्तिगत विचार हैं और काउंसिल के विचारों को प्रतिबिम्बित नहीं करते।*